# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :–** 12/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024/58
**दायर दिनांक :–** 02.02.2024 **निर्णय दिनांक :–** 18.02.2025

1. धनाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी अमरपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

**–अप्रार्थी**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थित :–**1. श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

**–:: निर्णय ::–**

सहायक कलक्टर ... जिला फलोदी

प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से प्रार्थी का वाद पूर्णतया साबित है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है जिससे प्रार्थी को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ग्राम राणेरी वर्तमान नवसृजित राजस्व ग्राम अमरपुरा पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप में खसरा नम्बर 106 रकबा 35.1752 हैक्टेयर भूमि मे से रकबा 50–00 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है। जिसे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा, जमाबंदी की प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त भू–प्रबन्ध सेटमेंट से प्रार्थी के पूर्वजों का भू–प्रबन्ध से पूर्व कब्जा व काश्त होते भू–प्रबन्ध कर्मचारियों व राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के पूर्वजों के कब्जा व काश्त की जांच किये बिना उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं कर खसरा नम्बर 95 में गलत शामिल कर दी गई। प्रार्थी के पूर्वजों का उतरोतर उनकी मृत्यु पर्यन्त और उसके बाद से प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर रकबा 50–00 बीघा पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते है। उक्त भूमि से प्राकृतिक पैदावार प्राप्त कर उसका उपयोग व उपभोग व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रकबा 50–00 बीघा का खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

18.2.25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवाय चक भूमि है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**–:आदेशः–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)